# न्यायालय चन्द्रभान सिंह भाटी, आरएएस, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 13/2019

1– नारायणराम
2– नखाराम
3– रामलाल
4– भगाराम
5– समन्द कुमार
} पिसरान आईदानराम उर्फ आदूराम पुत्र शिवनाथराम

6– भूराराम पुत्र शिवनाथराम
7– श्रीमती कान्ता देवी पत्नी कंवरलाल पुत्र सोनाराम
8– जस्सु
9– दिलिप
10– गिरधर
} पिसरान कंवरलाल नाबालिग जरिये कुदरती माता कान्ता देवी

11– अजूनराम पि0 सोनाराम
12– मु0 सुगनी पुत्री मु0 गवरा पुत्री शिवनाथराम जाति माली निवासी नोख तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

—— अपीलांटस

बनाम

1– शिवनारायणराम पुत्र भींयाराम जाति माली निवासी नोख तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
2– राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत।

– रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :–

1. श्री रामचंद्र सिंह भाटी – अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मेघसिंह भाटी रेस्पोडेन्ट सं0 1
3. पैरोकारराज – राज्य की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक :–20–01–2020

यह अपील अपीलार्थीगण द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अधीन उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं0 4 हाल तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत की आज्ञा ग्रम सेवडा के इन्तकाल संख्या 323 दिनांक 24.06.1986 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 14.06.19 को प्रस्तुत की गई।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि इन्तकाल स0 323 दिनांक 24.6.86 ग्राम सेवडा खिलाफ इन्साफ ,कानून ,एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है । अपीलान्टगण के दादा/पिता श्री शिवनाथराम के नाम ग्रम सेवडा मे ख0न0 240 मे 55.01 बीघा पुश्तैनी मिसल बन्दोबस्ती गैर खातेदारी कृषि भूमि है। इनकी मृत्यू होने पर रेस्पोर्डेन्ट स0 1 जो अपीलान्ट स0 6 का पुत्र है ने अपने आपको भींयाराम पुत्र शिवनाथराम का वारिस बताते हुए इ0स0 323 से शिवनाथराम के वारिसान मे अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि शिवनाथराम के जायज वारिसान मे आईदानराम, भूराराम ,सोनाराम , मु0 गवरा एवं भीयांराम पुत्र/पुत्रीयां थे जिनमे भीयांराम के जायज वारिसान मे एक मात्र पत्नि मु0 भीखी देवी थी तथा भींयाराम के कोई औलाद नही थी । आराजी

मुतनाजा शिवनाथराम के देहान्त होने पर जैरबहस भूमि जायज वारिसान के नाम दर्ज होनी थी तथा भींयाराम के देहान्त होने पर उनकी पत्नि मु0 भीखीदेवी के नाम दर्ज रिकार्ड होनी थी जो दर्ज नही की जाकर रेस्पो0स01 के नाम गलत दर्ज रिकार्ड करते हुए इ0स0 323 स्वीकार किया गया। इस प्रकार श्री भीयांराम एवं उसकी पत्नि के देहान्त होने पर आराजी मुतनाजा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत शिवनाथराम के सभी जायज वारिसान के नाम दर्ज होनी थी । रेस्पो0 स0 1 ने गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपने को भीयांराम का जायज वारिस बताकर इन्तकाल तस्दीक करवा लिया । अपीलान्टगण का अपनी पैतृक सम्पति पर अपने पिता के समय से कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है तथा इसी से मेहनत कर अपना व परिवार का भरण पोषण करते है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत न0 4 ने अपीलान्टगण को सुनवायी व सबूत पेश करने का कोई अवसर प्रदान नही कर समस्त कार्यावाही एकतरफा कर इन्तकाल तस्दीक किया है। दिनांक 4.6.19 को अपीलान्टगण किसान क्रेडिट कार्ड के लिये राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पटवारी हल्का के पास गये तो जैर बहस इन्तकाल के बारे मे जानकारी प्राप्त हुई तब उसी दिन नकल प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर पूर्ण फीस के साथ अपील प्रस्तुत करके अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार की जाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किये। प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से श्री मेघसिहं भाटी अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा पेश किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई । दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया तथा फार्म न0 3 मे दस्तावेजात पेश किये एवं अपील मे हुई देरी के लिये जानकारी के समय से अपील अन्दर मियाद मानते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार करने की अर्ज की । इस पर रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने कोई एतराज नही करते हुए अपील स्वीकार करने की सहमति जाहिर की ।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल तस्दीक करते समय अपीलांटगण को कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया। अतः अपीलाधीन आदेश की पूर्व मे जानकारी अपीलांटगण को नही हो सकी। अतः अपीलान्टगण के द्वारा दफा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया। जिसके विरूद्व कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया। दफा 5 मियाद शपथ–पत्र के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर देरी के कारणो पर विश्वास करते हुवे इसे स्वीकार किया जाता हैं।

उभय पक्ष की बहस पर मनन एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण की अपील का आधार यह है कि अपीलन्टस का दादा/पिता शिवनाथराम का देहान्त होने पर रेस्पोडेण्ड संख्या 1 अपने आप को भीयाराम पुत्र शिवनाथराम का वारिस बताते हुवें नामान्तकरण संख्या 323 दिनांक 24.06.86 से शिवनाथराम के वारिसान में अपना नाम दर्ज करवा लिया जो कानून एवं विधि विरूद्व है।

शिवनाथनाम के जायज वारिसान में आईदानराम, भूराराम, सोनाराम, मु0 गवरा एवं भीयाराम पुत्र/पुत्रिया थे तथा भींयाराम के जायज वारिसान में एक मात्र पत्नी मु0 भीखी देवी थी तथा भींयाराम के कोई औलद नही थी। आराजी मुतनाजा शिवनाथराम के देहान्त होने पर नियमानुसार शिवनाथराम के

उपरोक्त वर्णित जायज वारिसान के नाम दर्ज होनी थी तथा भीयाराम के देहान्त होने से उनकी पत्नी मु0 भीखी देवी के नाम दर्ज रिकार्ड होनी थी जो ना दर्ज की जाकर रेस्पोडेण्ड संख्या 1 का नाम गलत दर्ज रिकार्ड कर नामान्तकरण संख्या 323 स्वीकार किया गया है जो विधि विरुद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती हैं तथा इंतकाल संख्या 323 दिनाक 24.06.86 ग्राम सेवडा त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत को प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि उभय पक्षो को साक्ष्य ,सबूत एवं सुनवाई अवसर प्रदान करते हुए जायज वारिसान की जाचं कर विधि सम्मत आदेश पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 20.1.26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर